क्रम-संख्या–42 (ख–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-डब्लू0/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 16 मार्च, 2017

फाल्गुन 25, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–10

संख्या 41/आठ-10–17-04डी0ए0-72

लखनऊ, 16 मार्च, 2017

अधिसूचना

प03आ0–68

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समय-समय पर यथा-संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 1705/37-2–04डी0ए0-72, दिनांक 10 जून, 1976 में इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करते हैः–

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में निम्नलिखित क्षेत्र बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थातः–

(क) नगरीय क्षेत्र

(1) नगर पंचायत, खरखौदा

(2) नगर पालिका परिषद, मवाना

(3) नगर पंचायत, हस्तिनापुर

(4) नगर पंचायत, बहसुमा

(5) नगर पंचायत, लावड़

(6) नगर पालिका परिषद, सरधना

(ख) ग्रामीण क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्रों में 16 ग्राम, जिन्हें सरकारी अधिसूचना संख्या 2223/9आ–6–03–4डी0ए0/72, दिनांक 26 जून, 2003 द्वारा मेरठ विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 के रूप में संख्यांकित किये जायेंगे और इस प्रकार ग्रामों का संख्यांकन किये जाने के पश्चात् निम्नलिखित ग्राम सम्मिलित किये जायेंगे अर्थात्:–

क्रम सं0	ग्राम का नाम	तहसील और जिला
1	2	3
17.	मुजफ्फरनगर सैनी (आंशिक)	तहसील–मेरठ और जिला–मेरठ
18.	पावला	–तदैव–
19.	खरदौनी शेखूपुर	–तदैव–
20.	मसूरी	–तदैव–
21.	इंचौली (आंशिक)	–तदैव–
22.	शौलाना (आंशिक)	–तदैव–
23.	नगलापातू (आंशिक)	–तदैव–
24.	खानपुर (आंशिक)	–तदैव–
25.	खन्दावली (आंशिक)	–तदैव–
26.	धनोटा (आंशिक)	–तदैव–
27.	खरखौदा	–तदैव–
28.	सादुल्लापुर उर्फ चन्दपुर	–तदैव–
29.	बिजौली (आंशिक)	–तदैव–
30.	खड़खड़ी	–तदैव–
31.	छत्तरी	–तदैव–
32.	सेत कुंआ	–तदैव–
33.	नालपुर	–तदैव–
34.	अकबरपुर सादात	तहसील–मवाना और जिला–मेरठ
35.	अस्सा	–तदैव–
36.	कौल	–तदैव–
37.	झुनझुनी	–तदैव–
38.	कोला	–तदैव–
39.	सालारपुर	–तदैव–
40.	निलोहा	–तदैव–
41.	अक्खेपुर	–तदैव–
42.	बिरोला	–तदैव–
43.	भगवानपुर	–तदैव–
44.	पहाड़पुर	–तदैव–
45.	दुधली बांगर	–तदैव–
46.	बना	–तदैव–
47.	नंगला ईसा	–तदैव–
48.	मवाना खुर्द	–तदैव–
49.	राफन	–तदैव–
50.	फिटकरी	–तदैव–
51.	तिगरी	–तदैव–
52.	मुबारिकपुर	–तदैव–

1	2	3
53.	सैदीपुर सेठ	--तदैव--
54.	नीमका वीरान	--तदैव--
55.	खेडी मनिहार	--तदैव--
56.	भैंसा	--तदैव--
57.	कटरा	--तदैव--
58.	मवाना कलाँ ग्रामीण	--तदैव--
59.	धिकौली	--तदैव--
60.	राजूपुर	--तदैव--
61.	समसपुर	--तदैव--
62.	बसीवीरान	--तदैव--
63.	बहसूमा देहात	--तदैव--
64.	फतहपुर हंसापुर	--तदैव--
65.	जीतपुर	--तदैव--
66.	गोड़कलाँ	--तदैव--
67.	गोहम्मदपुर शक्रितमुकरी	--तदैव--
68.	सैफपुर फिरोजपुर	--तदैव--
69.	गोड़खुर्द	--तदैव--
70.	सदरपुर	--तदैव--
71.	हस्तिनापुर कौरवान	--तदैव--
72.	हस्तिनापुर पाण्डवान	--तदैव--
73.	तजपुरा	--तदैव--
74.	माखन नगर	--तदैव--
75.	रहमापुर	--तदैव--
76.	भिन्डोरा	--तदैव--
77.	करीमपुर	--तदैव--
78.	भोजपुर	--तदैव--
79.	हजरतपुर	--तदैव--
80.	गनेशपुर	--तदैव--
81.	अफजलपुर उर्फ रानी नगला	--तदैव--
82.	पलडा	--तदैव--
83.	बहोडुपुर	--तदैव--
84.	कुडी कमालपुर	--तदैव--
85.	नगला जरीफ	--तदैव--
86.	मेहरमती गनेशपुर	तहसील--सरधना और जिला--मेरठ
87.	जलालपुर खिर्वा	--तदैव--
88.	जाफराबाद दुर्वेशपुर	--तदैव--
89.	बहादुरपुर	--तदैव--
90.	बुबकपुर	--तदैव--
91.	दबथुवा	--तदैव--
92.	दबथुवा गढ़ी	--तदैव--
93.	छबड़िया	--तदैव--

1	2	3
94.	चांदना	–तदैव–
95.	जुलैहड़ा	–तदैव–
96.	सरधना ग्रामीण	–तदैव–
97.	मदारपुरा	–तदैव–
98.	एत्मादनगर अल्लीपुर	–तदैव–
99.	टेहरकी	–तदैव–
100.	जाफरनगर बेगवाबाद	–तदैव–
101.	कमरूद्दी नगर मढ़ियाई	–तदैव–
102.	ददरी (दौराला)	–तदैव–
103.	नग[illegible]ना सानी	–तदैव–
104.	शा[illegible]पुर पीरपुर	–तदैव–
105.	म[illegible]रीपुर	–तदैव–
106.	स[illegible]ती	–तदैव–
107.	कनौड़ा	–तदैव–
108.	जसरथपुर	–तदैव–
109.	जीतपुर	–तदैव–
110.	भरोठा	–तदैव–
111.	जमालपुर गोमा	–तदैव–
112.	नगली मजरा मटौर	–तदैव–
113.	वलीदपुर	–तदैव–
114.	लोईया	–तदैव–
115.	गच्छरी	–तदैव–
116.	सहीपुर दौराला	–तदैव–
117.	समसपुर सुरानी	–तदैव–
118.	गेसूपुर बफावत	–तदैव–
119.	खिर्वा नौवाबाद	–तदैव–
120.	पौहल्ली	–तदैव–
121.	बटजेवरा (आंशिक)	–तदैव–
122.	सरसवा	–तदैव–
123.	समसपुर	–तदैव–
124.	लावडजान अली ग्रामीण	–तदैव–
125.	लावड खास ग्रामीण	–तदैव–
126.	मवी मीरा	–तदैव–
127.	खेड़ी टप्पा लावड	–तदैव–
128.	जैनपुर	–तदैव–
129.	अझोटा	–तदैव–
130.	मीठेपुर	–तदैव–
131.	जमालपुर जलालपुर	–तदैव–
132.	लाब्डी हरनपुर	–तदैव–
133.	गामुरपुर उर्फ देदवा	–तदैव–
134.	गैल	–तदैव–

1	2	3
135.	अन्दावली	–तदैव–
136.	बीहटा	–तदैव–
137.	जलालाबाद उर्फ जलालपुर	–तदैव–
138.	खनौदा	–तदैव–
139.	मैथना इन्दरसिंह (आंशिक)	–तदैव–
140.	उलखपुर (आंशिक)	–तदैव–

आज्ञा से,
पनधारी यादव,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 41/VIII-10-17–04D.A-72, dated March16, 2017 :

No. 41/ VIII-10-17–04D.A-72
Dated Lucknow, March 16, 2017

IN exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) as re-enacted and amended by the Uttar Pradesh President's Act (Re-enactment with Modifications) Act, 1974 (U.P. Act no. 30 of 1974), *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 (U.P Act no. 1 of 1904) the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 1705/37-2-4D.A-72, dated June 10, 1976 as amended from time to time, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*:-

AMENDMENT

In the aforesaid notification the following areas shall be inserted namely:-

A-Urban area of -

(1) Nagar Panchayat, Kharkhauda

(2) Nagar Palika Parishad, Mawana

(3) Nagar Panchayat, Hastinapur

(4) Nagar Panchayat, Bahsuma

(5) Nagar Panchayat, Lawar

(6) Nagar Palika Parishad, Sarhdana

B-Rural area

In the ruraal areas 16 villages, which have been *inserted* in thed Meerut development Area by government notification no. 2223/9Aa-6-03-4D.A/72, Dated June 26, 2003 shall be numbered as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and after the villages as so numbered the following villages shall be *inserted* namely:-

S.No.	Name of Village	Tahsil and District
1	2	3
17.	Muzaffarnagar Saini (Part)	Tahsil-Meerut and district-Meerut
18.	Pabla	-D0-
19.	Khardauni Shekhupur	-D0-
20.	Masoori	-D0-
21.	Incholi (Part)	-D0-
22.	Shaulana (Part)	-D0-

1	2	3
23.	Nangla Patu (Part)	-D0-
24.	Khanpur (Part)	-D0-
25.	Khandaoli (Part)	-D0-
26.	Dhanota (Part)	-D0-
27.	Kharkhauda	-D0-
28.	Sadullapur *Urf* Chandpur	-D0-
29.	Bijauli (Part)	-D0-
30.	Kharkhari	-D0-
31.	Chhatari	-D0-
32.	Set Kuan	-D0-
33.	Nalpur	-D0-
34.	Akbarpur Sadat	Tahsil-Mawana and district-Meerut
35.	Assa	-D0-
36.	Kaul	-D0-
37.	Jhunjhuni	-D0-
38.	Kaula	-D0-
39.	Salarpur	-D0-
40.	Niloha	-D0-
41.	Akkheypur	-D0-
42.	Bisola	-D0-
43.	Bhagwanpur	-D0-
44.	Paharpur	-D0-
45.	Duddli bangar	-D0-
46.	Bana	-D0-
47.	Nagli Isa	-D0-
48.	Mawana Khurd	-D0-
49.	Raphan	-D0-
50.	Phitkari	-D0-
51.	Tigri	-D0-
52.	Mubarikpur	-D0-
53.	Sadipur Seth	-D0-
54.	Neemka Biran	-D0-
55.	Kheri Manaihar	-D0-
56.	Bhainsa	-D0-
57.	Katra	-D0-
58.	Mawana Kalan Rural	-D0-
59.	Dhikauli	-D0-
60.	Rajupur	-D0-
61.	Shamaspur	-D0-
62.	Basi biran	-D0-
63.	Bahsuma dehat	-D0-
64	Phatahpur Hansapur	-D0-

1	2	3
65.	Jeetpur	-D0-
66.	Morkaln	-D0-
67.	Mohammadpur Shakist Mukarri	-D0-
68.	Saifpur firozpur	-D0-
69.	Mor Khurd	-D0-
70.	Sadarpur	-D0-
71.	Hastinapur kaurwan	-D0-
72.	Hastinapur Pandwan	-D0-
73.	Tajupura	-D0-
74.	Makhan nagar	-D0-
75.	Rahmapur	-D0-
76.	Bhindora	-D0-
77.	Karimpur	-D0-
78.	Bhojpur	-D0-
79.	Hazratpur	-D0-
80.	Ganeshpur	-D0-
81.	Afjalpur *Urf* Rani Nagla	-D0-
82.	Palra	-D0-
83.	Bahorupur	-D0-
84.	Kuri Kamalpur	-D0-
85.	Nagla Jarif	-D0-
86.	Meharmati Ganeshpur	Tahsil-Sardhana and district-Meerut
87.	Jalalpur Khirwa	-D0-
88	Zafarabad Durweshpur	-D0-
89.	Bahadurpur	-D0-
90.	Bubakpur	-D0-
91.	Dabathuwa	-D0-
92	Dabathuwa Garhi	-D0-
93.	Chhabariya	-D0-
94.	Chandna	-D0-
95.	Julehra	-D0-
96.	Sardhna Rural	-D0-
97.	Madarpura	-D0-
98.	Aitmadnagar Alipur	-D0-
99.	Teharki	-D0-
100.	Zafarnagar Begwabad	-D0-
101.	Qamaruddinnagar Madhiyai	-D0-
102.	Dadri (Daurala)	-D0-
103.	Nagla Sani	-D0-
104.	Shapur Pirpur	-D0-
105.	Madaripur	-D0-
106.	Sakoti	-D0-

1	2	3
107.	Kanora	-D0-
108.	Jasrathpur	-D0-
109	Jeetpur	-D0-
110.	Bharota	-D0-
111.	Jamalpur Goma	-D0-
112.	Nagli Mazra Mataur	-D0-
113.	Walidpur	-D0-
114.	Loiya	-D0-
115.	Machchhari	-D0-
116.	Sahipur Daurala	-D0-
117.	Samapur Surani	-D0-
118.	Gesupur Baphaawat	-D0-
119.	Khirwa Nauwabad	-D0-
120.	Pauhalli	-D0-
121.	Batjewara (Part)	-D0-
122.	Sarsawa	-D0-
123.	Samaspur	-D0-
124.	Lawarjan Ali Rural	-D0-
125.	Lawar Khas Rural	-D0-
126.	Mavi Mira	-D0-
127.	Kheri tappa Lawar	-D0-
128.	Jainpur	-D0-
129.	Ajhota	-D0-
130.	Mitheypur	-D0-
131.	Jamalpur Jalalpur	-D0-
132	Lawari Haranpur	-D0-
133.	Mamupur *Urf* dedawa	-D0-
134.	Mail	-D0-
135.	Andawali	-D0-
136.	Bihta	-D0-
137.	Jalalabad *Urf* Jalalpur	-D0-
138.	Khanauda	-D0-
139.	Maithna Inder Singh (Part)	-D0-
140.	Ulakhpur (Part)	-D0-

By order,
PANDHARI YADAV,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–898 राजपत्र (हि०)–2017–(2189)–599+50=649 प्रतियां (क०/टी०/आफसेट)।

उत्तर प्रदेश सरकार

निवास विभाग

अनुभाग—2

अधिसूचना

10 जून, 1976 ई0

सं0 1705/37-2-4-डी0 ए0-72—चूंकि, राज्य सरकार की राय में, उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ क्षेत्र का योजनानुसार विकास करना अपेक्षित है ;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 ई0 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 ई0 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित क्षेत्र को मेरठ विकास क्षेत्र घोषित करते हैं :—

कैन्टूनमेन्ट क्षेत्र और नाविक, सैनिक या वायुसेना प्राधिकरण के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अधिगृहीत अथवा पट्टे पर ली गई भूमि को छोड़कर नगरपालिका, मेरठ की सीमाओं के अन्तर्गत तथा नगरपालिका की सीमाओं के बाहर चारों तरफ आठ किलोमीटर की दूरी पर्यन्त आने वाला क्षेत्र ।

I pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1705/37-2-4-D. A.-72, dated June 10, 1976 :

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

No. 1705/37-2-4-D.A.-72

June 10, 1976

Whereas in the opinion of the State Government the Meerut Area in the State of Uttar Pradesh requires to be developed according to plan ;

Now, therefore, in exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act No. 11 of 1973 as re-enacted by U. P. Act No. 30 of 1974), the Governor is pleased to declare, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, the following area to be Meerut Development Area :

Area falling within the limits of the Nagarpalika, Meerut and a distance of eight kilometres on all sides beyond the Nagarpalika limits but excluding Cantonment areas and land owned, requisitioned or taken on lease by the Central Government for the purpose of any naval, military or air force authority.

आज्ञा से,

पी0 आर0 व्यास भोमन,

आयुक्त एवं सचिव।

पी0 एस0 यू0 पी0—6 सा0 (निवास) 15-7-76—100 (मोनो)।

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 18 दिसम्बर, 1980

अग्रहायण 27, 1902 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग—2

संख्या 4971—[illegible] 37—2—4 डी० ए०-72

लखनऊ, 18 दिसम्बर, 1980

अधिसूचना

प० आ०—466

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 [illegible] उत्तर प्रदेश [illegible] अधिनियम (परिवर्तनों सहित पुनः अधिनियमन) [illegible] के साथ पठित [illegible] 1974) द्वारा पुनः [illegible] 1973) की धारा 2 [illegible] अधिनियम, 1973 [illegible] 1705/37—2—4-डी०ए०-72 दिनांक [illegible] सरकारी अधिसूचना संख्या [illegible] है —

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में [illegible] रख दी जायगी;

(4) मोहिउद्दीनपुर, इकला, कायस्थ गावड़ी, बहादुरपुर
ग्राम सम्पूर्ण

अर्थात्—

"मेरठ विकास क्षेत्र

छावनी क्षेत्र और किसी नाविक, सैनिक या वायु सेना प्राधिकरण के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अधिगृहीत या पट्टे पर ली गई भूमि को छोड़कर म्युनिसिपल बोर्ड, मेरठ की सीमा के भीतर और म्युनिसिपल सीमा के बाहर चारों तरफ आठ किलोमीटर की दूरी पर्यन्त आने वाला क्षेत्र और ग्राम इकला, मुहीउद्दीनपुर, कायस्थ गावड़ी और बहादुरपुर।"

आज्ञा से,

बी० जे० खोदाईजी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4971-A/XXXVII-2—4-DA-72, dated December 18, 1980:

No. 4971-A/XXXVII-2—4-DA-72

Dated Lucknow, December 18, 1980

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973), as re-enacted and modified by the Uttar Pradesh President's Acts (Re-enactment with Modifications) Act, 1974 (U. P. Act no. 30 of 1974), read with section 21 of the U. P. General Clauses Act, 1904 (U. P. Act no. I of 1904), the Governor ...

1705/37-2—4-DA-72, dated June 10, 1976:

AMENDMENT

In the aforesaid notification for the existing entry relating to Meerut Development Area the following entry shall be *substituted*, namely—

"*Meerut Development Area*

Area falling within the limits of the Municipal Board, Meerut and a distance of eight kilometres on all sides beyond the municipal limits and village Ekala, Muhiuddinpur, Kavasthye Gabri and Bahadurpur but excluding Cantonment areas and land owned, requisitioned or taken on lease by the Central Government for the purpose of any naval, military or air force authority.

By order,

B. J. KHODAIJI,
Sachiv.

54

संख्या-4971/37-2-40ऐ090/72

प्रेषक [illegible]

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग-3

लखनऊ, दिनांक [illegible] 1986

18 दिसम्बर

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिवर्तनों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा पुनः अधिनियमित और परिष्कृत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 1705/37-2-40ऐ090/72, दिनांक 10 जून, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, मेरठ विकास क्षेत्र से संबंधित वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी,

अर्थात् --

"मेरठ विकास क्षेत्र

छावनी क्षेत्र और किसी नाविक, सैनिक या वायु सेना प्रतिष्ठान के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा अधिकृत या पट्टे पर ली गई भूमि को छोड़कर म्युनिसिपल बोर्ड, मेरठ की सीमा के भीतर और म्युनिसिपल सीमा के बाहर चारों तरफ आठ किलोमीटर की दूरी पर्यन्त सभी राजस्व ग्राम और ग्राम - [illegible], [illegible], [illegible] और [illegible]।"

आज्ञा से,

([illegible])

सचिव।

संख्या-4971(1)/37-2-40ऐ090/72, तद्दिनांक

(1) प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद की एक प्रतिलिपि के साथ अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अधिसूचना दिनांक [illegible] 1986 के असाधारण गजट में प्रकाशित की जाय और [illegible] अनुभाग-2 तथा 5-5 प्रतियाँ [illegible] निम्नलिखित को [illegible]

(2) प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

2) जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।

कृ0पृ0उ0

4) प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5) मुख्य अभियन्ता, [illegible] निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

[illegible]
[illegible]

उत्तर प्रदेश सरकार
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6
संख्या 1223/9आ-6-03-4डीए-72
लखनऊ: दिनांक 26 जून, 2003

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 1705/37-2-4डीए-72 दिनांक 10 जून, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में मेरठ विकास क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र अन्त में बढ़ा दिये जायेंगे-

राजस्व ग्रामों मटौर, समौली सलेमपुर, मोहम्मदपुर हाथक, दौराला ग्रामीण, दौराला शुगर मिल, पनवाड़ी, अहंता, कैलोता, वहराला, सिवाया जमालुल्लापुर, धन्जू, बपरसा, पावली खुर्द, पावली खास, दुल्हैड़ा चौहान, मुकर्रबपुर पल्हैड़ा और जेवरी का सम्पूर्ण क्षेत्र।

आज्ञा से,

जे०एस०मिश्र
सचिव

7/7/2003

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट दिनांक 26 जून, 2003 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड "ख" में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ शासन को भेजने की कृपा करें।

आज्ञा से,

(शहजादे लाल)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-- आयुक्त ,मेरठ मण्डल, मेरठ।

2-- अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।

3-- जिलाधिकारी, मेरठ ।

4-- उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

5-- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

6-- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शहजादे लाल)

उप सचिव।